

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुड़ोपा)

दांडिक0प्र0क0-16 / 14
संस्था0दि0 15 / 01 / 14

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

--: **विरुद्ध :-**

धनराज उर्फ चिड़ढा पिता शिवरतन यदुवंशी,
 उम्र 25 वर्ष, जाति गौली, पेशा-मजदूरी,
 नि0ग्राम डोडावानी, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

----- **अभियुक्त**

--: **निर्णय :-**

(आज दिनांक 03 / 08 / 2016 को घोषित)

1- अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के तहत अभियोग है कि दिनांक 07.05.09 के बाद से लगातार दिनांक 03.01.14 के पूर्व तक स्थान आरोपी धनराज यदुवंशी ग्राम डोडावानी, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 में फरियादी को शराब पीकर मारपीट कर, कुरता कारित की तथा फरियादी से दहेज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख रुपये की मांग की।

2- प्रकरण में आदेश पत्रिका दिनांक 03 / 08 / 16 को अभियुक्त और फरियादी कविता के बीच राजीनामा होने से आपसी राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा- 4 का अपराध राजीनामा योग्य न होने से अभियुक्त का राजीनामा आवेदन पत्र निरस्त किया गया।

3- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम डोडावानी में उसके पति के साथ रहती है। दिनांक 07 / 05 / 2009 को उसके माता पिता ने सामाजिक रिति रिवाज के साथ ग्राम डोडावानी के धनराज यदुवंशी के साथ शादी की थी। उसकी शादी में उसके माँ बाप ने उनकी हैसियत के अनुसार उसे दान, दहेज दिया था। शादी के बाद एक देड़ साल तक उसके पति धनराज ने उसे अच्छे से रखा। उसे उसके पति धनराज से एक लड़का पुनीत पैदा हुआ जो अभी देड़ साल का है। बच्चा पैदा होने के बाद से उसका पति धनराज उसे शराब पीकर मारपीट गाली गलौच करने लगा और उसे कहने लगा उसके मायके से खेती के लिए रुपये लाकर देने के लिए कहने लगा। उसने जब उसके पति को मायके से पैसे आदि लाकर देने के लिए मना किया तो उसका पति धनराज उसे दहेज की मांग को लेकर और मायके से रुपये लाकर देने के लिए उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। उसके पति धनराज की प्रताड़ना से तंग आकर वह

उसके मायके आ गयी और सारी बात उसने उसके पिता रामकिशन, माँ कृष्णीबाई, भाई मधु और बाली को बताकर भाई मधु और बाली के साथ उसके पति की रिपोर्ट करने थाना आयी हूँ रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जावे।

4— फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई जो प्र0पी0 1 है। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 8/14 भा.द.सं धारा-498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा- 3, 4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 09/01/14 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 2 तैयार किया गया, साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, अभियुक्त को गिरफ्तार गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

5— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1—"क्या दिनांक 07.05.09 के बाद से लगातार दिनांक 03.01.14 के पूर्व तक स्थान आरोपी धनराज यदुवंशी ग्राम डोडावानी, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 में फरियादी को शराब पीकर मारपीट कर, क्रूरता कारित की?"

2—"उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी से दहेज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख रुपये की मांग की?"

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क0 1,2 का निराकरण

7— सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न क्रं. 1, 2 का निराकरण साथ में किया जा रहा है। क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।

8— अभियोजन साक्षी कविता (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया कि आरोपी धनराज उसका पति है। उसका विवाह लगभग 7 वर्ष पूर्व ग्राम हरन्या में हिन्दू रिति रिवाज से सम्पन्न हुआ था। शादी के बाद वह उसके ससुराल डोडावानी चली गई थी, जहां 4-5 साल आरोपी ने उसे अच्छे से रखा, उसके बाद घरेलु बातों से उसका और आरोपी का विवाद होने लगा। आरोपी ने उससे दहेज की मांग नहीं किया था। शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर यह अस्वीकार किया है कि आरोपी उसे बच्चा पैदा होने के बाद से शराब पीकर घर आता था व उसे मारपीट व गाली गलौच करता था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि आरोपी ने उससे मायके से दहेज में एक लाख रुपये लाने को कहता था और इसी मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्र0पी0 1 के बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र0पी0 3 का ए से ए भाग पर लेख कराई थी। आगे इस गवाह ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका

राजीनामा हो गया है। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न में उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित करने तथा दहेज में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक लाख रुपये मांगने वाली बात नहीं बताई है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य के मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न से भा0दं0वि0 की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा- 4 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

9— अभियोजन साक्षी रामकिशोर (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि शादी के बाद उसकी लड़की उसके ससुराल ग्राम डोडावानी चली गई थी। लगभग एक साल तक अच्छे से रखा, उसके बाद आरोपी शराब पीकर घर आने लगा और उसकी लड़की के साथ मारपीट करने लगा। आरोपी महीने में दो दो बार मारता पीटता था और आरोपी उसकी लड़की को कहता था कि उसके मायके से दहेज में मोटर साईकिल और रुपये लेकर आ। शादी के एक वर्ष बाद उसकी लड़की को एक बेटा हुआ था बेटा होने के बाद ही आरोपी ने उसकी लड़की को परेशान करना चालु किया। उक्त साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा में खंडन किया गया है।

10— अभियोजन साक्षी रामकिशोर (अ.सा.1) समर्थनकारी साक्ष्य है और इस गवाह की साक्ष्य का समर्थन फरियादी ने अपने मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा से नहीं किया है। साथ ही इस गवाह प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी की शादी के बाद गाली गलौच और शराब पीकर मारने ठोंकने की रिपोर्ट कभी नहीं की। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसकी लड़की का लडका आरोपी के पास ही रहता है। आगे यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ही उसकी लड़की के लडके की पढाई लिखाई व देख रेख करता है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि शादी के समय आरोपी द्वारा मोटर साईकिल एवं दहेज की मांग नहीं की थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने उसकी लड़की का दुसरा विवाह कर दिया है अब उसका आरोपी से कोई विवाद नहीं है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि अब कोई दहेज व मोटर साईकिल की मांग वाली कोई बात नहीं है। आगे इस गवाह ने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी उससे राजीनामा करने के लिए कहेगा तो वह राजीनामा करने को तैयार है। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की और फरियादी से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दहेज में रूपयों की मांग की। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से भा0दं0वि0 की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के तथ्यों का समर्थन नहीं होता है।

11— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दहेज में रूपयों की मांग की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

12— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से

युक्ति-युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दहेज में रूपयों की मांग की। इस प्रकार अभियुक्त धनराज उर्फ चिड़ड़ा को भा0द0वि0 की धारा-498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13- अभियुक्त के धारा-313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

14- प्रकरण में जप्त शुदा सामाग्री शादी का कार्ड एवं दहेज की सूची मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय/आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0